

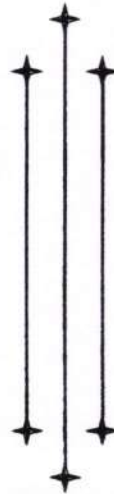


मध्यप्रदेश शासन

जेल विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

2022-23



सजग, सुरक्षा, सावधान

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के माननीय जेल मंत्री एवं विभागीय अधिकारी	1
2.	भाग-एक	
1.	विभागीय संरचना	2-13
1.1	विभागाध्यक्ष कार्यालय की संरचना	
1.2	अधीनस्थ कार्यालयों (सर्किल जेलों) की जानकारी	
1.3	विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण	
1.4	विभाग के दायित्व	
1.5	विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	
1.5.1	बंदियों की मुक्ति एवं विशेष परिहार	
1.5.2	कर्मचारियों को प्रशिक्षण	
1.5.3	जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग	
1.5.4	ई-प्रिजन कार्यक्रम	
1.5.5	ई-प्रिजन लैब	
1.5.6	इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग	
1.5.7	जेल मुख्यालय में कन्ट्रोल रूम की स्थापना	
1.5.8	तकनीकी शाखा	
1.5.9	विधिक सहायता	
1.5.10	स्वास्थ्य परीक्षण	
1.5.11	जेलों में निरुद्ध बंदियों को पारिश्रमिक	
1.5.12	बंदियों को इनकमिंग दूरभाष की सुविधा	
1.5.13	जेल उद्योग, कृषि एवं उद्यान	
1.5.14	आधुनिक मुलाकात व्यवस्था	
1.5.15	बंदियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण	
1.5.16	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की सहायता से बंदियों को निःशुल्क शिक्षा	
1.5.17	बंदियों को शैक्षणिक सुविधा	
1.5.18	सांस्कृतिक कार्यक्रम	
1.5.19	आध्यात्मिक कार्यक्रम	
1.5.20	योग प्रशिक्षण	
1.5.21	प्रदेश की जेलों में गोवंश की स्थिति	
1.6	विभाग की प्राथमिकताएं	
1.7.	महत्वपूर्ण सांख्यिकी	
1.7.1	जेलों का वर्गीकरण, क्षमता एवं परिरुद्ध बंदियों की संख्या	
1.7.2	विगत 3 वर्षों में आवास क्षमता से अधिक बंदियों का तुलनात्मक विवरण	
1.7.3	बंदियों का विधिक वर्गीकरण	
1.7.4	बंदियों का आयुवार वर्गीकरण	

3	भाग—दो	16
	2.1 बजट सिंहावलोकन	
	2.2 बजट प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय	
4.	भाग—तीन	17—18
	राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
	3.1. राज्य योजनाएं	
	3.2. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
	3.3 अन्य योजनाएं	
5.	भाग—चार	19—21
	सामान्य प्रशासनिक विषय	
	1. जांच समिति / आयोग	
	2. जेल विभाग में न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति	
	3. जेल विभाग में स्वीकृत एवं भरे पदों की श्रेणीवार जानकारी	
6.	भाग—पांच	22—24
	अभिनव प्रयास	
	5.1. अभिनव प्रयास	
	5.2. जेलों में शिक्षा उन्नयन अभियान	
	5.3. आगामी योजना	
	5.4. मध्यप्रदेश की महिला नीति के अंतर्गत विभाग के कार्य	
	5.4.1 महिला कैदियों को विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण	
	5.4.2 प्रशिक्षण के दौरान पारिश्रमिक राशि	
	5.4.3 महिलाओं हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण	
	5.4.4 महिला बंदियों के लिए शिक्षा	
7.	भाग—छः	25
	निरंक	
8.	भाग—सात	25
	सारांश	
9.	जेल विभाग के आवश्यक दूरभाष	26—37

माननीय मंत्री म.प्र. शासन जेल, एवं विभागीय अधिकारियों की जानकारी

वर्ष 2022-2023

✦ मध्यप्रदेश, शासन ✦

विभाग का नाम	➤ जेल विभाग
माननीय मंत्री	➤ डॉ. नरोत्तम मिश्रा (21.04.2020 से निरन्तर)

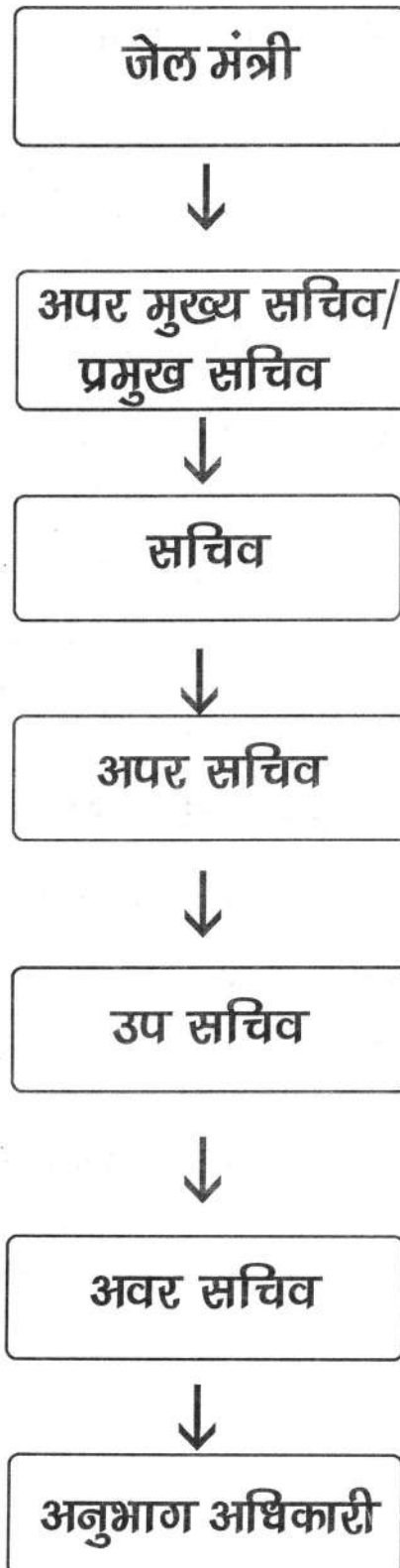
✦ सचिवालय ✦

अपर मुख्य सचिव	➤ डॉ. राजेश राजौरा (11.08.2020 से 31.12.2022 तक)
प्रमुख सचिव	➤ श्री फैज अहमद किदवाई (02.01.2023 से निरन्तर)
अपर सचिव	➤ श्री ललित दाहिमा (13.09.2021 से निरन्तर)
अवर सचिव	➤ श्री अजय नथानियल (07.11.2016 से निरन्तर)
अनुभाग अधिकारी	➤ श्रीमती सीमा कुंभारे (01.11.2021 से निरन्तर)

✦ विभागाध्यक्ष कार्यालय ✦

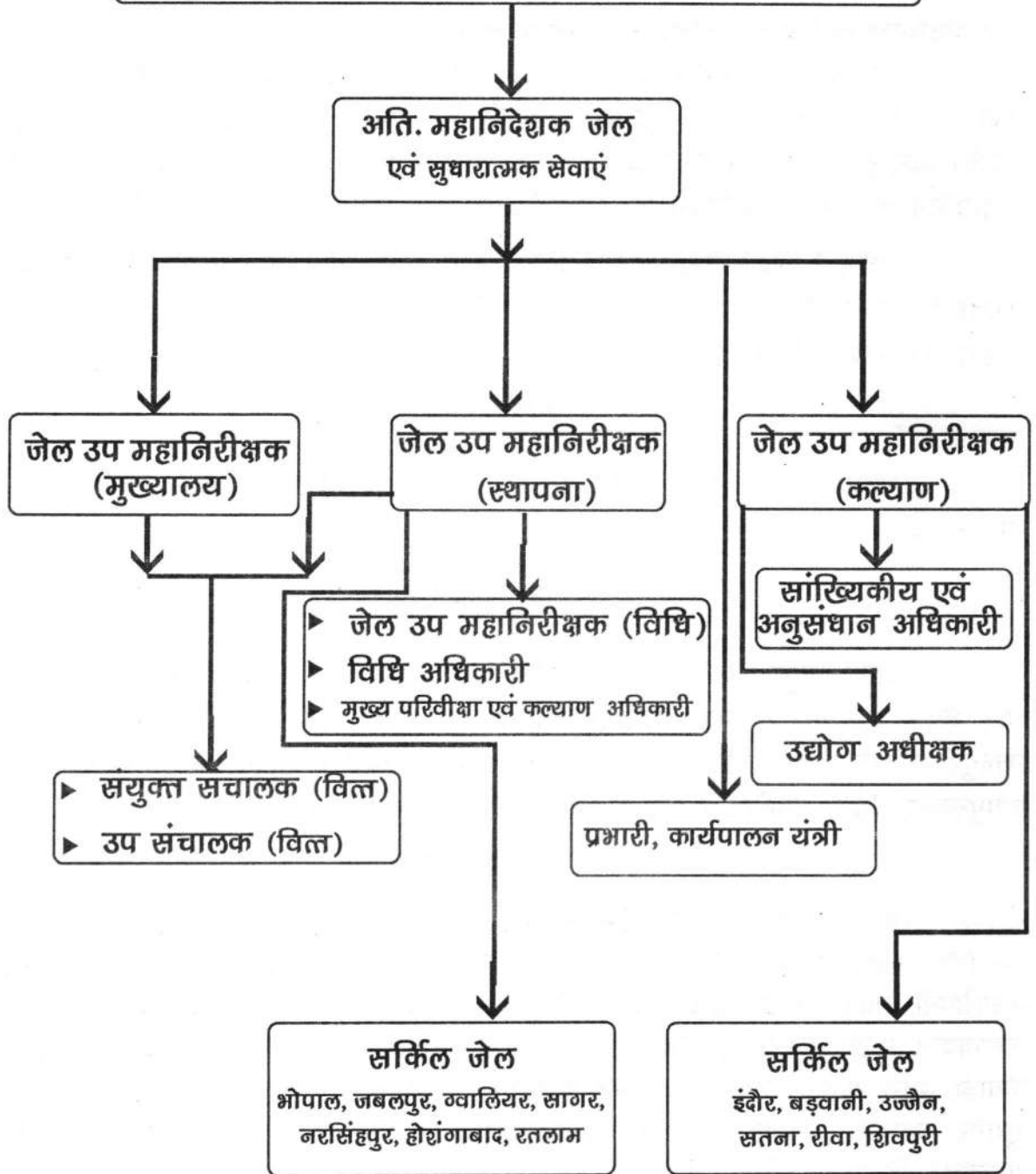
जेल महानिदेशक	➤ श्री अरविन्द कुमार (01.02.2021 से निरन्तर)
अतिरिक्त महानिदेशक जेल	➤ श्री जी. आर. मीना (07.12.2016 से 31.12.2022 तक)
जेल उप महानिरीक्षक	➤ डॉ. सुहेल अहमद (13.07.2007 से 31.05.2022 तक)
	➤ श्री संजय पाण्डे (09.11.2015 से निरन्तर)
	➤ श्री एम. आर. पटेल (09.11.2015 से निरन्तर)
	➤ श्री यू.पी. सिंह (09.11.2015 से 31.07.2022 तक)

जेल विभाग, मंत्रालय की विभागीय संरचना



✦ जेल मुख्यालय की विभागीय संरचना ✦

महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं



भाग - एक

1. विभागीय संरचना

1.1 विभागाध्यक्ष कार्यालय की संरचना

जेल विभाग (मंत्रालय) के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं का कार्यालय जेल मुख्यालय के रूप में कार्यरत हैं।

1.2 अधीनस्थ कार्यालयों (सर्किल जेल) की जानकारी

विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीन प्रदेश की केंद्रीय जेल इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सतना, उज्जैन, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी, होशंगाबाद तथा जिला जेल, रतलाम एवं शिवपुरी सर्किल जेलें हैं। सर्किल जेलों के अधीक्षकों का दायित्व अपने अधीनस्थ जेलों एवं वहाँ पदस्थ कनिष्ठ कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण रखना है।

प्रदेश में स्थित केन्द्रीय जेलों, जिला जेलों, खुली जेलों एवं सब जेलों में बंदी आवास क्षमता 29715 है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में कुल 48857 बंदी परिरुद्ध हैं। इनमें दंडित बंदी 21761, विचाराधीन बंदी 26877 एवं अन्य बंदी 219 हैं।

केन्द्रीय जेलें (11)

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी एवं होशंगाबाद।

जिला जेलें (41)

अलीराजपुर, इंदौर, खंडवा, छिन्दवाड़ा, छतरपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, दतिया, दमोह, धार, बैतूल, रतलाम, राजगढ़, शहडोल, सिवनी, शाजापुर, सीधी, मंदसौर, मुरैना, बालाघाट, गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, भिंड, पन्ना, विदिशा, खरगौन, रायसेन, मंडला, कटनी, नीमच, अशोकनगर, श्योपुरकलां, बैदण, उमरिया, हरदा, डिंडोरी, आगर, अनूपपुर एवं भोपाल।

सब जेलें (73)

कन्नौद, गरोठ, जावरा, जोबट, तराना, नरसिंहगढ़, नागौद, पिपरिया, बुढ़ार, बेगमगंज, बिजावर, मंडलेश्वर, महिदपुर, मैहर, सबलगढ़, सरदारपुर, सिहोरा, सेंधवा, खाचरौद, पिछोर, अमरवाड़ा, मेहगांव, वारासिवनी, लवकुश नगर, बैहर, सिवनीमालवा, नसरुल्लागंज, सारंगपुर, सैलाना, बागली, देपालपुर, महू, लखनादौन, पाटन, कोलारस, गोहद, मुलताई, नौगांव, जावद, सांवेर, कसरावद, जतारा, जौरा, अम्बाह, निवाड़ी, डबरा, ब्यौहारी, करेरा, गौहरगंज, शुजालपुर, बरेली, हटा, लटेरी, गंजबासौदा, सेवड़ा, पोहरी, खुरई, सुसनेर, धरमपुरी, बड़वाह, मऊगंज, रहली, चाचौड़ा, बंडा, पवई, मनावर, लहार, बदनावर, महेश्वर, सोनकच्छ, विजयपुर, त्योंथर एवं बड़नगर।

- | | |
|--|---|
| • खुली जेलें | 07 होशंगाबाद, इंदौर, सागर, सतना
जबलपुर, भोपाल, नरसिंहपुर |
| • क्षेत्रीय जेल प्रबन्धन एवं शोध संस्थान | 01 भोपाल |
| • जेल प्रशिक्षण केन्द्र | 01 सागर |

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण (जेलों का सक्रियता विवरण)

1. इंदौर सर्किल : (10)

1. केन्द्रीय जेल, इंदौर
2. जिला जेल, इंदौर
3. जिला जेल, धार
4. जिला जेल, खंडवा
5. खुली जेल, इंदौर
6. सब जेल, सरदारपुर
7. सब जेल, महू
8. सब जेल, देपालपुर
9. सब जेल, सांवेर
10. सब जेल, बड़वाह

2. बड़वानी सर्किल : (10)

1. केन्द्रीय जेल, बड़वानी
2. जिला जेल, अलीराजपुर
3. जिला जेल, खरगोन
4. सब जेल, जोबट
5. सब जेल, मंडलेश्वर
6. सब जेल, संधवा
7. सब जेल, कसरावद
8. सब जेल, धरमपुरी
9. सब जेल, मनावर
10. सब जेल, महेश्वर

3. उज्जैन सर्किल : (12)

1. केन्द्रीय जेल, उज्जैन
2. जिला जेल, शाजापुर
3. जिला जेल, देवास
4. जिला जेल, आगर
5. सब जेल, महिदपुर
6. सब जेल, तराना
7. सब जेल, बागली
8. सब जेल, सुसनेर
9. सब जेल, सोनकच्छ
10. सब जेल, शुजालपुर
11. सब जेल, कन्नौद
12. सब जेल, बड़नगर

4. ग्वालियर सर्किल : (13)

1. केन्द्रीय जेल, ग्वालियर
2. जिला जेल, मुरैना
3. जिला जेल, भिंड
4. जिला जेल, दतिया
5. सब जेल, अम्बाह
6. सब जेल, सबलगढ़
7. सब जेल, डबरा
8. सब जेल, गोहद
9. सब जेल, मेहगांव
10. सब जेल, लहार
11. सब जेल, जौरा
12. सब जेल, विजयपुर
13. सब जेल, सेवदा

5. सागर सर्किल : (11)

1. केन्द्रीय जेल, सागर
2. जिला जेल, दमोह
3. जिला जेल, टीकमगढ़
4. खुली जेल, सागर
5. सब जेल, बेगमगंज
6. सब जेल, जतारा
7. सब जेल, निवाड़ी
8. सब जेल, हटा
9. सब जेल, खुरई
10. सब जेल, रहली
11. सब जेल, बंडा

6. नरसिंहपुर सर्किल : (9)

1. केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर
2. जिला जेल, छिंदवाड़ा
3. जिला जेल, सिवनी
4. जिला जेल, बालाघाट
5. खुली जेल, नरसिंहपुर
6. सब जेल, बैहर
7. सब जेल, वारासिवनी
8. सब जेल, अमरवाड़ा
9. सब जेल, लखनादौन

7. जबलपुर सर्किल : (7)

1. केन्द्रीय जेल, जबलपुर
2. जिला जेल, मंडला
3. जिला जेल, कटनी
4. जिला जेल, डिंडोरी
5. खुली जेल, जबलपुर
6. सब जेल, पाटन
7. सब जेल, सिहोरा

8. भोपाल सर्किल : (11)

1. केन्द्रीय जेल, भोपाल
2. खुली जेल, भोपाल
3. जिला जेल, भोपाल
4. जिला जेल, राजगढ़
5. जिला जेल, सीहोर
6. जिला जेल, रायसेन
7. जिला जेल, विदिशा
8. सब जेल, सारंगपुर
9. सब जेल, नरसिंहगढ़
10. सब जेल, लटेरी
11. सब जेल, गंजबासौदा

9. होशंगाबाद सर्किल : (10)

1. केन्द्रीय जेल, होशंगाबाद (खण्ड अ)
केन्द्रीय जेल, होशंगाबाद (खण्ड ब)
2. खुली जेल, होशंगाबाद
3. जिला जेल, बैतूल
4. जिला जेल, हरदा
5. सब जेल, पिपरिया

6. सब जेल, सिवनीमालवा
7. सब जेल, मुलताई
8. सब जेल, नसरुल्लागंज
9. सब जेल, गौहरगंज
10. सब जेल, बरेली

10. सतना सर्किल : (10)

1. केन्द्रीय जेल, सतना
2. जिला जेल, छतरपुर
3. जिला जेल, पन्ना
4. खुली जेल, सतना
5. सब जेल, नागौद
6. सब जेल, बिजावर
7. सब जेल, लवकुश नगर
8. सब जेल, नौगांव
9. सब जेल, मैहर
10. सब जेल, पवाई

11. रीवा सर्किल : (10)

1. केन्द्रीय जेल, रीवा
2. जिला जेल, शहडोल
3. जिला जेल, सीधी
4. जिला जेल, उमरिया
5. जिला जेल, बैदना
6. जिला जेल, अनूपपुर
7. सब जेल, व्योहारी
8. सब जेल, बुढ़ार
9. सब जेल, मऊगंज
10. सब जेल, त्योंथर

12. शिवपुरी सर्किल : (9)

1. जिला जेल, शिवपुरी
2. जिला जेल, श्योपुर
3. जिला जेल, गुना
4. जिला जेल, अशोकनगर
5. सब जेल, करेरा
6. सब जेल, कोलारस
7. सब जेल, पिछोर
8. सब जेल, पोहरी
9. सब जेल, चाचौड़ा

13. रतलाम सर्किल : (10)

1. जिला जेल, रतलाम
2. जिला जेल, मंदसौर
3. जिला जेल, नीमच
4. जिला जेल, झाबुआ
5. सब जेल, जावरा
6. सब जेल, खाचरौद
7. सब जेल, जावद
8. सब जेल, बदनावर
9. सब जेल, गरोठ
10. सब जेल, सैलाना

1.4 विभाग के दायित्व:

1. विभाग का दायित्व न्यायालय द्वारा विभिन्न स्वरूप के कारावास से दंडित व्यक्ति को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देकर, उसकी दंडावधि को यथा सम्भव व्यावसायिक प्रशिक्षण काल में व्यतीत कराना तथा बंदियों की समुचित सुरक्षा, स्वास्थ्य, भरण-पोषण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा नैतिक शिक्षा प्रदान कर उनकी आपराधिक मनोवृत्ति में सुधारात्मक परिवर्तन लाना है, ताकि बंदी दंडावधि व्यतीत कर जेल से मुक्त होने पर समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना शेष जीवन कानून प्रिय नागरिक की तरह व्यतीत कर सके।

2. न्यायालय द्वारा ऐसे विचाराधीन आरोपी जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखने हेतु आदेशित किया जाता है, उन्हें अभिरक्षा में सुरक्षित रखकर निर्दिष्ट समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी:

1.5.1 बंदियों की मुक्ति एवं विशेष परिहार :

- (1) वर्ष 2022 में महानिदेशक जेल के आदेश से आपात पैरोल पर रिहा हुये बंदियों की संख्या 32 है।
- (2) वर्ष 2022 में महानिदेशक जेल द्वारा स्वीकृत किये गये पश्चातवर्ती अवकाश प्रकरणों के अंतर्गत जेलों से अवकाश हेतु मुक्त किये गये बंदियों की संख्या 5290 है।
- (3) वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 215 बंदी शासन परिहार से लाभान्वित होकर रिहा हुये।
- (4) वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 251 बंदी शासन परिहार से लाभान्वित होकर रिहा हुये।
- (5) वर्ष 2022 में गाँधी जयंती के अवसर पर 631 बंदी शासन परिहार से लाभान्वित होकर रिहा हुये।
- (6) वर्ष 2022 में राज्य परिवीक्षा मंडल की अनुशंसा के पश्चात् शासनादेशानुसार प्रोबेशन लायसेंस पर मुक्त हुये बंदियों की संख्या 05 है।

1.5.2 कर्मचारियों को प्रशिक्षण:

प्रदेश में अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय जेल प्रबन्धन एवं शोध संस्थान, भोपाल में स्थापित है। प्रहरियों को प्रशिक्षण देने के लिए जेल प्रशिक्षण केन्द्र सागर में स्थापित है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी तथा राज्य एवं केन्द्र शासन के प्रशिक्षण संस्थानों में भी जेल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है। इस संबंध में म.प्र. पुलिस एवं केंद्रीय पैरामिलिट्री बलों से भी सहयोग प्राप्त किया गया।

जेल विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जनवरी से दिसम्बर की अवधि में निम्नानुसार अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान किये गये :

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या
(अ) दीर्घकालिक प्रशिक्षण (राज्य के अन्दर प्रशिक्षण संस्थानों में)		
— आधारभूत प्रशिक्षण (पुरुष प्रहरी) (सी.आई.एस.एफ. बड़वाह)	05 माह 15 दिवस	100
— आधारभूत प्रशिक्षण (महिला प्रहरी) (पी.टी.सी. इंदौर)	05 माह 15 दिवस	45
— आधारभूत प्रशिक्षण (पुरुष प्रहरी) (क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल)	05 माह 15 दिवस	95
— आधारभूत प्रशिक्षण (पुरुष/महिला प्रहरी) (क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल)	05 माह 15 दिवस	73

(ब) अल्पकालिक प्रशिक्षण

— आम्स प्रशिक्षण (प्रहरी) (क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल)	06 दिवसीय	268
— उच्च सुरक्षा इकाई प्रशिक्षण (प्रहरी) (क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल)	06 दिवसीय	175
— विभा. जॉच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही (अधि./प्रहरी) (क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल)	02 दिवसीय	26
— रिफ्रेशर कोर्स (अधिकारी/प्रहरी) (क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल)	03 दिवसीय	23
— ई-प्रिजन आई.सी.जे.एस. प्रशि. (अधि./प्रहरी) (जेल मुख्यालय, भोपाल)	01 दिवसीय	490
— Incident Response System-Challenges and Solutions in Prison Administration	03 दिवसीय	20
— Prisoner's Rights and Entitlements- Laws, Policies and Apparatus, National and International Perspective, an Update	03 दिवसीय	19
— Stakeholder's Co-Ordination and Leadership Development Course	03 दिवसीय	20
— Vertical Interaction Course	05 दिवसीय	15
— जेल सुधार से संबंधित अन्य अल्पकालीन प्रशिक्षण	03-06 दिवसीय	143
योग		1512

1.5.3 जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार प्रदेश की जेलों में परिरुद्ध बंदियों की पेशियाँ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जा रही है। इस व्यवस्था के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु उपकरण उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। सभी जेलों पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्षों का निर्माण जेल विभाग द्वारा कराया गया है। वर्ष 2022 में बंदियों की कुल 3,54,891 पेशियाँ अदालत में हुई, इनमें से 3,10,438 पेशियाँ (87.47%) वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा शेष 44,453 पेशियाँ (12.53%) पुलिस बल द्वारा कराई गई।

1.5.4 ई-प्रिजन कार्यक्रम

प्रदेश की समस्त जेलों में ई-प्रिजन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। ई-प्रिजन योजना में प्रदेश की जेलों में बंदियों का लेगेसी डाटा फीड करने के साथ-साथ प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम में बंदियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी फीड की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश की जेलों में आई.सी. जे.एस. प्रणाली के माध्यम से बंदियों की आमद की जा रही है तथा इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न पिलर्स (पुलिस, कोर्ट, प्रिजन, प्रोक्सिक््यूशन, एफ.एस.एल.) द्वारा फीड की गई बंदी से संबंधित समस्त जानकारी को देखा जा सकता है। प्रदेश की समस्त जेलों में ई-प्रिजन कार्यक्रम के संचालन करने हेतु आई.सी.टी. सेटप (कम्प्यूटर एवं अन्य सह-उपकरण) उपलब्ध कराये गये हैं, साथ ही प्रदेश की जेलों में ई-मुलाकात की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से बंदी के परिजन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदियों से मुलाकात कर सकते हैं।

1.5.5 ई-प्रिजन लैब

जेलों के कर्मचारियों को ई-प्रिजन तथा अन्य कम्प्यूटर संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु जेल मुख्यालय, भोपाल में ई-लैब स्थापित है। जेलों पर तकनीकी कार्य कर रहे अधिकारी/कर्मचारियों को ई-प्रिजन बेसिक एवं एडवांस का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। NIC द्वारा समय-समय पर ई-प्रिजन मॉड्यूल पर किये गये बदलाव से अवगत कराने हेतु विभाग के 110 अधिकारी एवं 380 कर्मचारियों को जेल मुख्यालय की ई-लैब में ई-प्रिजन (ICJS) का प्रशिक्षण दिया गया।

1.5.6 इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग

जेलों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु 11 केन्द्रीय एवं 03 जिला जेलों (बालाघाट, खण्डवा एवं इंदौर) में इलेक्ट्रिक फेंसिंग स्थापित है। 27 जेलों में इलेक्ट्रिक फेंसिंग की स्थापना की कार्यवाई प्रचलन में है।

1.5.7 जेल मुख्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना

राज्य में जेलों की स्थितियों की निरंतर निगरानी हेतु राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसमें 18 जेलों में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरों की सतत निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सुरक्षा संबंधी घटनाओं के वर्गीकरण अनुसार तत्काल रिपोर्टिंग की जाती है तथा दैनिक स्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

1.5.8 तकनीकी शाखा

जेल विभाग में तेजी से हो रहे आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण को दृष्टिगत रखते हुए जेल मुख्यालय में "तकनीकी उपकरण एवं सेवाएं शाखा" (TESS) स्थापित की गई है, जिसके अंतर्गत ई-प्रिजन, आई.सी.जे.एस., सी.सी.टी.वी. सर्विलेंस सिस्टम, वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक फेंसिंग सिस्टम, जेल विभाग की वेबसाइट, आई.टी. तथा तकनीकी उपकरण आदि से संबंधी कार्य किया जा रहा है।

1.5.9 विधिक सहायता

राज्य शासन द्वारा प्रदेश की केन्द्रीय जेलों पर बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने एवं समय-समय पर माननीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत होने वाली याचिकाओं में प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किये जाने हेतु विधि अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

केन्द्रीय जेलों पर पदस्थ विधि अधिकारी ऐसे निर्धन बंदियों के आवेदन पत्रों को जो अधिवक्ता की फीस देने के लिए सक्षम नहीं हैं, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के समक्ष विधिक सहायता हेतु प्रस्तुत करते हैं, जहां से बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रदेश की केन्द्रीय जेलों पर विधिक सहायता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किये जाते हैं, ताकि बंदियों को नियमों की जानकारी और विधिक सहायता उपलब्ध हो सके। विगत वर्ष प्रदेश की जेलों में विधिक सहायता शिविर लगाकर 6903 बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई।

1.5.10 स्वास्थ्य परीक्षण

प्रदेश की जेलों में निरुद्ध होने वाले प्रत्येक बंदी का प्रतिमाह नियमित रूप से जेल पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। प्रतिमाह बंदियों के किये जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षणों के प्रतिवेदन आयोग द्वारा की गई अनुशंसानुसार जेलों से निर्धारित प्रपत्र में जेल मुख्यालय को प्राप्त होते हैं। वर्ष 2022 में कुल 4,78,375 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया।

1.5.11 जेलों में निरुद्ध बंदियों को पारिश्रमिक

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं समय-समय पर विभिन्न आयोगों द्वारा की गई अनुशंसा के परिपालन में सश्रम कारावास से दंडित बंदियों को जेलों में श्रम कार्यों में लगाया जाता है। मध्यप्रदेश की जेलों में निरुद्ध बंदियों के सश्रम कारावास के दौरान किये गये कार्यों के लिये देय पारिश्रमिक की दरें निम्नानुसार हैं :

क्रमांक	बंदियों की श्रेणी	पारिश्रमिक दर
1.	जेल उद्योग कार्य में लगे कुशल बंदियों के लिए (प्रति बंदी आधा दिवस के कार्य हेतु)	रुपये 120.00
2.	जेल/उद्योग कार्य में लगे अकुशल बंदियों के लिए (प्रति बंदी आधा दिवस के कार्य हेतु)	रुपये 72.00
3.	कृषि कार्य में लगे बंदियों के लिए (प्रति बंदी 06 घंटे के कार्य हेतु)	रुपये 72.00

पारिश्रमिक दरों को पुनरीक्षित करने हेतु आयोजित बैठक में यह प्रस्तावित किया गया था कि भविष्य में बंदियों की पारिश्रमिक राशि को समय-समय पर जारी मूल्य सूचकांक (Price Index) से जोड़ दिया जाये, जिससे पारिश्रमिक दर में स्वतः वृद्धि हो जायेगी, उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

वर्ष 2022 में बंदियों को कुल रुपये 11,00,06,484/- की पारिश्रमिक राशि प्रदाय की गई है।

1.5.12 बंदियों को इनकमिंग दूरभाष की सुविधा

प्रदेश की केन्द्रीय एवं जिला जेलों में बंदियों को बाहर से आने वाले दूरभाष (इनकमिंग फोन) की सुविधा प्रदान की गई है। केन्द्रीय एवं जिला जेलों पर अच्छा आचरण रखने वाले बंदियों को दूरभाष की सुविधा एक बार में अधिकतम वार्तावधि 05 मिनट के लिए प्रदान की जाती है। बंदियों को दूरभाष की सुविधा कार्यालयीन समय में प्रदान की जाती है। सुविधा का लाभ प्राप्त कर बंदी अपने परिवारजनों से दूरभाष पर वार्तालाप कर सकते हैं।

1.5.13 जेल उद्योग, कृषि एवं उद्यान

प्रदेश की केन्द्रीय जेलों एवं कुछ जिला जेलों में जहाँ लम्बी सजा अवधि वाले बंदियों को रखा जाता है, औद्योगिक प्रशिक्षण सह उत्पादन के उद्देश्य से विभिन्न इकाईयाँ संचालित हैं। वर्ष 2022 में 2280 बंदियों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रदेश की जेलों में बंदियों के प्रशिक्षण हेतु बुनाई, सूती दरी, आसन, कालीन, बड़ईगिरी, प्रिंटिंग उद्योग, सिलाई उद्योग, लौहारी उद्योग, बर्तन उद्योग, पावरलूम, सीमेंट के उत्पाद (गमले, पेवर टाइल्स, जाली एवं चेयर) चित्रकला एवं काष्ठकला जैसे उद्योग चलाये जा रहे हैं।

प्रदेश की जेलों में वर्ष के दौरान कृषि एवं बागवानी से कुल रुपये 19,60,024/- एवं जेल उद्योगों से रुपये 2,39,84,811/- का राजस्व प्राप्त हुआ।

1.5.14 आधुनिक मुलाकात व्यवस्था

प्रदेश की जेलों में टफन ग्लास लगाकर इंटरकॉम के माध्यम से आधुनिक मुलाकात व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जो कि सुरक्षित होने के साथ ही सुविधाजनक भी है। प्रदेश की 124 जेलों में आधुनिक मुलाकात सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

1.5.15 बंदियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण :

प्रदेश की जेलों में नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एन.सी.वी.टी.) के मापदंड अनुसार केन्द्रीय जेल, उज्जैन, जिला जेल बैतूल एवं धार में आई.टी.आई. की स्थापना की गई है।

केन्द्रीय जेल उज्जैन में पुरुष बंदियों हेतु 04 ट्रेडों (इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, टू-व्हीलर मैकेनिक एवं ट्रैक्टर मैकेनिक) में 23 बंदियों, जिला जेल बैतूल में 03 ट्रेडों (ट्रैक्टर मैकेनिक, वायरमैन एवं कारपेन्ट्री ट्रेड) में 13 बंदियों एवं जिला जेल धार में 03 ट्रेडों (ट्रैक्टर मैकेनिक, वायरमैन एवं कारपेन्ट्री ट्रेड) में 25 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रदेश की केन्द्रीय जेल ग्वालियर में बुनाई, कम्बल, पावरलूम, बढ़ई, सिलाई, प्रिंटिंग प्रेस एवं लौहारी उद्योग में 62 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल उज्जैन के अंतर्गत केन्द्रीय जेल उज्जैन में ऑफसेट प्रिंटिंग, सिलाई, कम्बल, पावरलूम, सुतारी, दरी, मूर्ति एवं लोहारी उद्योग में 191 बंदियों तथा जिला जेल देवास में सिलाई, बढ़ई एवं लोहारी उद्योग में 04 बंदियों व जिला जेल, शाजापुर में बढ़ई, सिलाई एवं फेब्रिकेशन उद्योग में 03 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल सागर में सिलाई, बुनाई, बढ़ई, स्क्रीन प्रिंटिंग एवं हथकरघा उद्योग में 248 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल, रीवा में प्रिंटिंग प्रेस, बुनाई, सिलाई, बढ़ई, लौहारी एवं पावरलूम उद्योग में 300 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर में काष्ठकला, लोहकला, सिलाई, पावरलूम, प्रिंटिंग प्रेस, बुनाई एवं कम्बल उद्योग में 124 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल इंदौर के अंतर्गत केन्द्रीय जेल इंदौर में प्रिंटिंग प्रेस, स्टील, पावरलूम, बुनाई, फेब्रिकेशन, बढ़ई, लेदर एवं सिलाई उद्योग में 51 बंदियों तथा जिला जेल धार में बढ़ई, फेब्रिकेशन एवं सिलाई उद्योग में 25 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल, होशंगाबाद के अंतर्गत केन्द्रीय जेल होशंगाबाद में पावरलूम, बढ़ई, सिलाई, हैण्डलूम, स्क्रीनिंग प्रिंटिंग उद्योग में 85 बंदियों एवं जिला जेल हरदा में इलेक्ट्रीशियन कार्य एवं सिलाई उद्योग में 22 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल, जबलपुर में बुनाई, सिलाई, ऑफसेट प्रिंटिंग, बढ़ई एवं लौहारी उद्योग में 501 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल, सतना के अंतर्गत केन्द्रीय जेल सतना में बुनाई, बढ़ई, कम्बल, सिलाई एवं प्रिंटिंग उद्योग में 239 बंदियों को एवं जिला जेल पन्ना में सिलाई, बढ़ई एवं राज मिस्त्री कार्य में 28 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल, बड़वानी में पावरलूम, सिलाई, बढ़ई, स्क्रीन प्रिंटिंग, फेब्रिकेशन एवं इलेक्ट्रिक बाईंडिंग कार्य में 72 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल, शिवपुरी में सिलाई, बढई एवं लोहारी उद्योग में 30 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल भोपाल के अंतर्गत केन्द्रीय जेल भोपाल में पावरलूम, बढई, लोहारी, सिलाई, बुनाई, कम्बल, गुड़िया, चप्पल, चित्रकला एवं प्रिंटिंग प्रेस उद्योग में 285 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

1.5.16 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की सहायता से बंदियों को निःशुल्क शिक्षा:

इन्दिरा गाँधी विश्वविद्यालय द्वारा बंदियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की केन्द्रीय जेल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सागर, सतना, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर जिला जेल शहडोल एवं सिवनी में निःशुल्क अध्ययन केन्द्र बनाये गये हैं। इन केन्द्रों पर इग्नू के माध्यम से बैचलर डिग्री प्रोग्राम (बी.डी.पी.), सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट (सी.आर.डी.), सर्टिफिकेट इन फूड एण्ड न्यूट्रीशन (सी.एफ.एन.), सर्टिफिकेट इन एच.आई.वी. एण्ड फैमिली एजुकेशन (सी.ए.एफ.ई.), बी.ए., बी.कॉम., एम.ए. एवं एम.बी.ए. के कोर्स संचालित हैं। इन केन्द्रों पर इग्नू की ओर से पाठ्यसामग्री व प्राध्यापक उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 2022 के दौरान इग्नू की विभिन्न परीक्षाओं में 846 परीक्षार्थी (बंदी) शामिल हुए।

1.5.17 बंदियों को शैक्षणिक सुविधा:

प्रदेश की जेलों के दंडित बंदियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की सुविधा है। जेल विभाग द्वारा समस्त निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाने के लिए कक्षाएँ चलाई जाती हैं। पहले से शिक्षित बंदियों को आगे शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है और पूर्ण सहयोग दिया जाता है। जो बंदी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उन्हें स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित कराया जाता है तथा समस्त व्यय एवं पुस्तकें विभाग द्वारा प्रदाय की जाती हैं। प्रदेश की जेलों में बंदियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षक/सहायक शिक्षक के 62 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 49 पद भरे हैं। वर्ष 2022 के दौरान विभिन्न कक्षाओं में 1155 बंदियों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा हिन्दी राष्ट्र भाषा परीक्षा में 373 बंदी शामिल हुए। वर्ष 2022 में 6938 दंडित एवं विचाराधीन बंदियों को साक्षर बनाया गया।

— * * * —

1.5.18 सांस्कृतिक कार्यक्रम:

प्रदेश की जेलों में वर्ष 2022 में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम समय-समय पर बंदियों के मानसिक तनाव को कम करने के उद्देश्य से आयोजित किये गये। प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-

- ◆ केन्द्रीय जेल, भोपाल में दिनांक 19.08.2022 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर श्रीकृष्ण के जयघोष के साथ मंगल आरती की गई तथा भगवान की लीलाओं पर आधारित जीवंत नाट्य प्रस्तुति, भजन प्रस्तुति एवं नृत्य प्रस्तुति बंदी कलाकारों के द्वारा दी गई। इस अवसर पर श्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस राहत एवं पुर्नवास मंत्री, मध्यप्रदेश शासन मुख्य अतिथि, जेल के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए।

- ◆ केन्द्रीय जेल, ग्वालियर में दिनांक 19.08.2022 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान श्रीकृष्ण की मनोहर झांकी सजाई गई। इस अवसर पर माननीय जेल मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा उपस्थित हुए।

- ◆ प्रदेश की जेलों में ईद-उल-फितर के अवसर पर परिरुद्ध मुस्लिम धर्मावलम्बी बंदियों को सामूहिक नमाज सम्पन्न कराई गयी, रक्षा बंधन के अवसर पर जेल में परिरुद्ध बंदियों को उनकी बहनों द्वारा रक्षा सूत्र बांधा गया एवं दीपावली के त्योहार पर बंदियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

- ◆ गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेलों द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रमों में जेल विभाग की उपलब्धियों पर झांकियां निकाली जाती है। 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली गई झांकियों में केन्द्रीय जेल, भोपाल एवं सागर को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

1.5.19 आध्यात्मिक कार्यक्रम :

प्रदेश की जेलों में बंदियों के बौद्धिक विकास एवं नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

1.5.20 योग प्रशिक्षण:

प्रदेश की जेलों में बंदियों को स्वस्थ एवं निरोग रखने के उद्देश्य से बंदियों हेतु प्रतिदिन योगाभ्यास एवं समय-समय पर योग शिविरों का आयोजन किया गया।

केन्द्रीय जेल, भोपाल में दिनांक 21.06.2022 को विश्व योग दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक भवन में माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा, गृह एवं जेल मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, श्री अरविंद कुमार, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं एवं जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुये। इस अवसर पर कैदियों एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा योगाभ्यास किया गया।

केन्द्रीय जेल, सतना में दिनांक 21.06.2022 को योग दिवस के अवसर पर 800 बंदियों को योगासनों का अभ्यास कराया गया।

केन्द्रीय जेल, बड़वानी में दिनांक 21.06.2022 को योग दिवस के अवसर पर बंदियों को योग प्रशिक्षण संस्थान सी.ए.एस.एफ. बड़वानी के प्रशिक्षकों द्वारा योगाभ्यास कराया गया एवं जिला जेल, खरगौन में योग दिवस के अवसर पर 300 बंदियों को योगासनों का अभ्यास कराया गया।

केन्द्रीय जेल, जबलपुर में दिनांक 15.06.2022 से 21.06.2022 तक बंदियों द्वारा योगाभ्यास किया गया।

केन्द्रीय जेल, इंदौर में दिनांक 21.03.2022 को ध्यान योगा का आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों ने ध्यान लगाने की कला सीखी।

1.5.21 प्रदेश की जेलों में गोवंश की स्थिति:

प्रदेश की केन्द्रीय जेल—भोपाल, सतना, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन एवं नरसिंहपुर की गौशालाओं में 1453 गोवंश उपलब्ध है।

1.6 विभाग की प्राथमिकताएं :

1. बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जेलों में आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन।
2. आवश्यक बुनियादी ढाँचे में सुधार के उद्देश्य से पुनर्संरचना।
3. जेलों में अतिसंकुलता दूर करने के लिए बंदी आवास क्षमता में वृद्धि।
4. विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु कार्यवाही करना।
5. बंदियों के सामाजिक पुनर्स्थापन हेतु आजीविका मूलक व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं में उत्तरोत्तर सुधार करना।
6. जेल कर्मचारियों की व्यावसायिक निपुणता में सुधार करना।
7. बंदियों एवं कर्मचारियों को आवास, चिकित्सा, पाकशाला, स्वच्छता, जल—प्रबंधन, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जेल वातावरण में सुधार करना।
8. बंदियों के मानव अधिकारों का संरक्षण।
9. बंदियों के विभिन्न तनावों को दूर करने हेतु प्रशिक्षण/सलाह देकर उनके जेल प्रवास को यथासम्भव तनावमुक्त एवं सुधारोन्मुख बनाना।

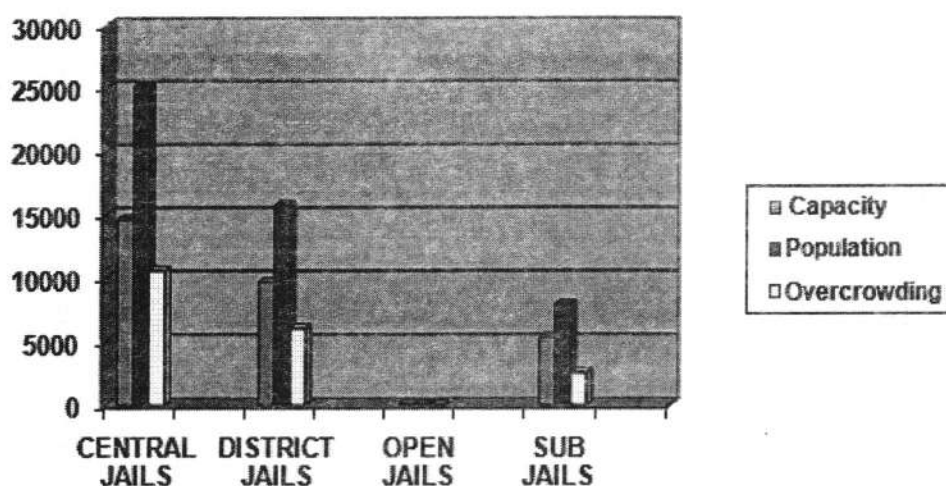
महत्वपूर्ण सांख्यिकी

1.7.1 जेलों का वर्गीकरण, क्षमता एवं परिरुद्ध बंदियों की संख्या :

(दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में)

क्र.	जेल श्रेणी	संख्या	आवास क्षमता			परिरुद्ध बंदियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	केन्द्रीय जेल	11	13881	723	14604	23977	1193	25170
2.	जिला जेल	41	8934	738	9672	15008	712	15720
3.	खुली जेल	07	118	—	118	82	—	82
4.	सब. जेल	73	4866	455	5321	7879	06	7885
	योग	132	27799	1916	29715	46946	1911	48857

INMATE POPULATION & OVERCROWDING IN JAILS



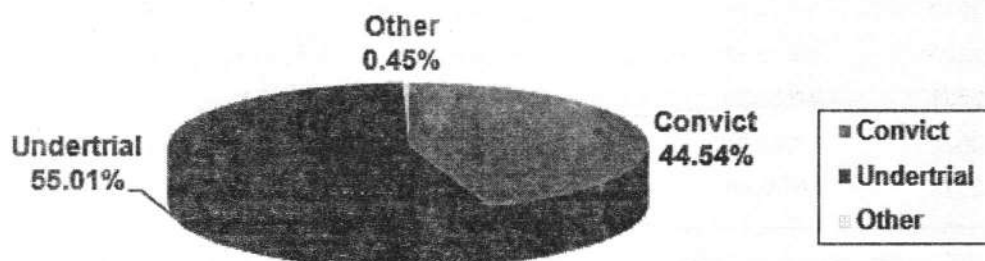
1.7.2 विगत 3 वर्षों में आवास क्षमता से अधिक बंदियों का तुलनात्मक विवरण :

क्र.	विवरण	परिरुद्ध बंदियों की संख्या		
		31 दिसम्बर 2020	31 दिसम्बर 2021	31 दिसम्बर 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	परिरुद्ध बंदियों की संख्या	45484	48513	48857
2.	क्षमता से अधिक बंदियों का प्रतिशत	58.71	64.06	64.42

1.7.3 बंदियों का विधिक वर्गीकरण :

क्र.	विवरण	31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में			31 दिसम्बर 2021 की स्थिति में			31 दिसम्बर 2022 की स्थिति में		
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1.	दंडित बंदी	13117	535	13652	18475	791	19266	20844	917	21761
2.	विचाराधीन बंदी	30437	1275	31712	27994	1100	29094	25884	993	26877
3.	अन्य बंदी	118	02	120	152	01	153	218	01	219
	योग	43672	1812	45484	46621	1892	48513	46946	1911	48857

SHARE OF DIFFERENT TYPES OF PRISON INMATES TO TOTAL INMATES



1.7.4 बंदियों का आयुवार वर्गीकरण :

क्र.	उम्र	31 दिसम्बर 2020			31 दिसम्बर 2021			31 दिसम्बर 2022		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1.	18 वर्ष से 21 वर्ष	4914	55	4969	5183	70	5253	4602	42	4644
2.	21 वर्ष से 30 वर्ष	17713	510	18223	18429	467	18896	18344	467	18811
3.	30 वर्ष से 50 वर्ष	16940	944	17884	18107	1002	19109	18980	1011	19991
4.	50 वर्ष से अधिक	4105	303	4408	4902	353	5255	5020	391	5411
	योग	43672	1812	45484	46621	1892	48513	46946	1911	48857

भाग - दो

2.1 बजट सिंहावलोकन

जेल विभाग में अधिकांश खर्च अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं, जिसे किसी भी परिस्थिति में कम अथवा स्थगित नहीं किया जा सकता है, जैसे - बंदियों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं अन्य खर्च, बंदियों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं जिनका आधार कोई निश्चित धनराशि नहीं है, अपितु इनका स्केल निर्धारित है। नियमों के अधीन बंदियों के लिए खाद्यान्न सामग्री एवं अन्य वस्तुओं में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। जेल के अंदर प्रविष्ट होने वाले बंदियों की संख्या भी निश्चित नहीं होती है एवं आन्दोलन आदि के कारण जेलों पर बंदियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि से व्यय भी बढ़ जाता है।

2.2 बजट प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय:-

पिछले सालों में जेल विभाग का बजट प्रस्ताव राशि, स्वीकृत बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(रूपये लाखों में)				
वर्ष	प्रस्तावित बजट प्रावधान	स्वीकृत बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक (+) बचत (-)
1	2	3	4	5
2018-2019	36129.26	34917.85	32876.09	(-) 2041.76
2019-2020	40511.48	40469.71	36934.66	(-) 3535.05
2020-2021	42858.10	42358.10	39392.32	(-) 2965.78
2021-2022	47083.25	46239.05	44763.94	(-) 1475.11
2022-2023	52343.08	49691.05	34799.43	(31.12.2022 की स्थिति में)

वर्ष 2022-2023 के लिये प्राप्त बजट में से विभिन्न मदों में व्यय राशि की जानकारी दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में निम्नानुसार है:

क्र. मद	व्यय राशि (रूपये में)
1. वेतन, भत्ते आदि	2309701451
2. कार्यालय व्यय	118461310
3. सफाई	69635160
4. विशेष सेवाओं हेतु मानदेय (बंदी पारिश्रमिक)	78946888
5. स्थाई सम्पत्तियों का अनुरक्षण (भवन मरम्मत)	97319736
6. वाहन (मरम्मत)	1839040
7. दवाईयां क्रय	90716315
8. राशन का मूल्य (भोजन व्यय)	606895393
9. कपड़े, बिस्तर तथा टेंट्स	69591943
10. अन्य प्रभार (बंदी परिवहन, परीक्षा, प्रशिक्षण मदों में)	5222577
11. अन्य शेष मदों में	31613670
योग	3479943483

भाग - तीन

राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1 राज्य योजनाएं:

वार्षिक योजना 2022-2023

वार्षिक योजना 2022-23 में वृहद निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा राशि रुपये 87.50 करोड़ का प्रावधान पूंजीगत मद में रखा गया है, जिसमें गत वर्ष में स्वीकृत 10 बैरिक निर्माण, नरसिंहपुर में खुली जेल निर्माण एवं बेकरी यूनिट वर्कशॉप, छिंदवाड़ा तथा इंदौर में नई जेल निर्माण कार्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई के माध्यम से कराए जा रहे हैं।

11 जेलों में ओवरक्राउडिंग कम करने के लिए 38 बैरिकों के निर्माण हेतु राशि रुपये 19.74 करोड़ तथा 06 केन्द्रीय जेलों में जेल चिकित्सालयों में कोरोना वार्ड हेतु राशि रुपये 2.62 करोड़ एवं 01-01 लॉड्री यूनिट निर्माण हेतु राशि रुपये 23.88 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। दतिया में 379 क्षमता के नये जिला जेल भवन के निर्माण हेतु राशि रुपये 51.96 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 20 मई, 2022 को प्रदान की गई है तथा निर्माणाधीन भिण्ड जेल की पुनरीक्षित स्वीकृति की कार्यवाही विचाराधीन है। केन्द्रीय जेल, उज्जैन में खुली जेल निर्माण हेतु दिनांक 20 जुलाई, 2022 को राशि रुपये 325.48 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य योजना :

1. निर्माणाधीन नवीन जेल छिंदवाड़ा, दतिया एवं इंदौर का कार्य प्रगति पर है।
2. केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर परिसर में 20 बंदियों हेतु खुली जेल कॉलोनी का निर्माण कार्य पूर्ण कर, इसे दिनांक 08.11.2022 से प्रारम्भ किया जा चुका है।
3. केन्द्रीय जेल, उज्जैन में 20 बंदियों की खुली जेल की स्वीकृति दिनांक 20 जुलाई, 2022 को प्रदान की गई है।

3.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं:

प्रदेश की समस्त जेलों में ई-प्रिजन संचालित करने हेतु एम.एच.ए. भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, इसके तहत जेलों में परिरुद्ध बंदियों का डाटाबेस तैयार किया जाता है।

ई-प्रिजन योजना भारत सरकार की योजना है, इस योजना में प्रदेश की जेलों में परिरुद्ध बंदियों का लेगेसी डाटा फीड किया जा रहा है।

प्रदेश की समस्त जेलों में ई-प्रिजन कार्यक्रम का संचालन करने हेतु योजना से संबंधित आई.सी.टी. सैटअप (कम्प्यूटर एवं अन्य सह उपकरण) उपलब्ध कराये गये हैं। सभी जेलों पर ई-प्रिजन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। सभी जेलों पर आई.सी.टी. सैटअप, नेट कनेक्टिविटी एवं डाटा एंट्री आपरेटर उपलब्ध कराये गये। जेल मुख्यालय में ई-प्रिजन लैब स्थापित कराई गई, जिसमें जेल स्टाफ को ई-प्रिजन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही योजना की जानकारी निरंक है।

3.3 अन्य योजनाएं :-

प्रतिकर योजना :

जेल विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई, अपराधों के पीड़ित परिवारों को प्रतिकर राशि देने की योजना प्रशासन की अभिनव योजना है, जिसके अनुसार बंदियों को उपलब्ध कराये गये काम के बदले दी जाने वाली कुल मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि एक पृथक सामान्य निधि बनाकर कलेक्टर एवं जेल अधीक्षक के संयुक्त खाते में कोषालय में जमा की जा रही है। इस सामान्य निधि की राशि का उपयोग पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को प्रतिकर दिये जाने में किया जाता है। शासन द्वारा पीड़ित की पात्रता का निर्धारण एवं संबंधित परिवार को प्रतिकर की राशि वितरित करने के लिए जेलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक-सदस्य एवं संबंधित जेल अधीक्षक-सदस्य सचिव बनाये गये हैं। शासन के आदेशानुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे एवं चिन्हित धाराओं, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, के बंदियों से संबंधित पीड़ित परिवार के सभी उत्तराधिकारियों को समान अनुपात में प्रतिकर की राशि देय होगी।

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. जांच समिति / आयोग:

जेल विभाग में वर्ष 2022-23 में किसी भी प्रकार की जांच समिति गठित नहीं हुई है।

2. जेल विभाग में न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :

(अ) बंदियों से संबंधित:	जेल विभाग में प्राप्त प्रकरण — 20
	प्रत्यावर्तन प्रस्तुत हुआ — 09
(ब) कर्मचारियों से संबंधित:	जेल विभाग में प्राप्त प्रकरण — 61
	प्रत्यावर्तन प्रस्तुत हुआ — 20

(स) विभागीय जांच:

पूर्व वर्ष के लंबित प्रकरण	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष
76	32	55	53

3. विभाग में स्वीकृत एवं भरे पदों की श्रेणीवार जानकारी:

क्र.	पदनाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त
प्रथम श्रेणी				
1	महानिदेशक जेल	01	01	00
2	अति. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक जेल	01	00	01
3	अति. जेल महानिरीक्षक	01	00	01
4	जेल उप महानिरीक्षक	04	02	02
5	जेल उप महानिरीक्षक (विधि)	01	00	01
5	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल	12	06	06
6	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	00	01
7	कार्यपालन यंत्री	01	00	01
योग		22	09	13
द्वितीय श्रेणी				
1	व्याख्याता (मनोविज्ञान/अपराध शास्त्र /विधि विज्ञान)	03	00	03
2	अधीक्षक, जिला जेल	41	19	22
3	उप जेल अधीक्षक	78	51	27
4	संयुक्त संचालक, वित्त	01	01	00
5	उप संचालक, वित्त	01	00	01
6	सहायक संचालक, वित्त	01	00	01
7	उद्योग अधीक्षक	01	01	00
8	सहायक यंत्री	02	01	01

क्र.	पदनाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त
9	सांख्यिकी एवं अनुसंधान अधिकारी	01	01	00
10	विधि अधिकारी	05	01	04
11	मुख्य परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी	01	01	00
12	वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी	06	04	02
13	चिकित्सा अधिकारी	58	41	17
योग		199	121	78

तृतीय श्रेणी

1	सहायक जेल अधीक्षक	269	154	115
2	कार्यालय अधीक्षक	01	01	00
3	सहायक कार्यालय अधीक्षक	01	01	00
4	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	03	02	01
5	सहायक ग्रेड-1	06	00	06
6	सहायक ग्रेड-2	37	24	13
7	लेखापाल/लेखापरीक्षक	43	20	23
8	सहायक ग्रेड-3	41	34	07
9	शीघ्रलेखक	04	02	02
10	स्टेनोग्राफिस्ट	03	02	01
11	कम्प्यूटर आपरेटर	01	00	01
12	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	00	01
13	कल्याण अधिकारी	06	02	04
14	परिवीक्षा अधिकारी	04	01	03
15	शिक्षक/सहायक शिक्षक	62	49	13
16	संगीत शिक्षक	02	02	00
17	महिला संगीत शिक्षक	01	00	01
18	उप उद्योग अधीक्षक	05	03	02
19	वरिष्ठ बढईगिरी अनुदेशक	04	03	01
20	वरिष्ठ बुनाई अनुदेशक	03	02	01
21	बढई अनुदेशक	10	09	01
22	बुनाई अनुदेशक	05	04	01
23	महिला सिलाई एवं कासिदाकारी अनुदेशक	01	01	00
24	सिलाई अनुदेशक	06	02	04
25	लोहार अनुदेशक	01	00	01
26	फोरमेन प्रेस	05	03	02
27	कम्पोजिटर	05	02	03
28	मशीनमैन प्रेस	04	02	02
29	पम्प चालक	02	01	01
30	बिजली मिस्त्री	01	00	01

क्र.	पदनाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त
31	बुकबाइंडर	01	01	00
32	पावरलूम अनुदेशक	02	00	02
33	पावरलूम मशीनमेन	01	00	01
34	साबुन एवं फिनाईल अनुदेशक	01	00	01
35	बैण्ड मास्टर	01	00	01
36	मैट्रन	05	02	03
37	पर्यवेक्षक	04	02	02
38	वाहन चालक	61	16	45
39	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक	08	03	05
40	सैनिक ड्रिल इन्स्ट्रक्टर	01	01	00
41	फार्मासिस्ट ग्रेड-2 (कम्पाउण्डर)	59	51	08
42	पुरुष नर्स (मेलनर्स)	69	30	39
43	लेबटेक्निशियन	05	03	02
44	मानचित्रकार	01	00	01
45	उपयंत्रि	02	00	02
46	अन्वेषक	01	00	01
47	प्रमुख मुख्य प्रहरी	185	02	183
48	मुख्य प्रहरी	725	428	297
49	प्रहरी	4698	4498	200
योग		6367	5363	1004
1	भृत्य/सफाईकर्मी (चतुर्थ श्रेणी)	313	283	30
महायोग		6901	5776	1125

भाग - पांच अभिनव प्रयास

5.1 अभिनव प्रयास

1. खुली जेलों का निर्माण :

प्रदेश की जेलों में बंदियों की ओवर क्राउडिंग कम करने, बंदियों को सामाजिक पुनर्स्थापन में सहायता करने तथा शासन के वित्तीय भार को कम करने के उद्देश्य से 10 खुली जेलों को प्रारंभ करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें से 06 खुली जेलें, खुली कॉलोनी नर्मदापुरम, इंदौर, सागर, जबलपुर, भोपाल एवं सतना प्रारंभ की जा चुकी हैं। वर्ष 2019-20 में स्वीकृत केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर में खुली जेल दिनांक 08.11.2022 को प्रारंभ की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन नवीन जिला जेल, छिंदवाड़ा परिसर में 20 बंदियों हेतु खुली जेल का निर्माण प्रगति पर है। केन्द्रीय जेल, उज्जैन परिसर में 20 बंदी क्षमता की खुली जेल निर्माण हेतु दिनांक 20 जुलाई, 2022 को राशि रुपये 325.48 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। पुनर्घनत्विकरण योजना के अंतर्गत बैतूल एवं दमोह में मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा तैयार प्रस्ताव में 20-20 बंदियों की क्षमता वाली खुली जेलें सम्मिलित हैं।

2. जेलों की सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढीकरण :

जेलों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ करने पर विशेष ध्यान देते हुए, जेलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने, इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग करने, वॉच टावर तथा गार्ड रूम बनाने, हाईमास्ट से प्रकाश करने के अभिनव कार्य स्वीकृत किए गए।

3. जेल कर्मियों को प्रभावी प्रशिक्षण :

म0प्र0 जेल विभाग में वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारियों को निरंतर सजगता, सतर्कता, अनुशासन एवं अद्यतन तकनीकी ज्ञान के साथ शारीरिक, मानसिक रूप से स्फूर्तिवान होना अनिवार्य आवश्यकता है, तदनुसार प्रभावी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया।

1. नवनियुक्त महिला/पुरुष प्रहरियों को सी.आई.एस.एफ. बड़वाह, पी.टी.सी. इन्दौर एवं क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल में आधारभूत प्रशिक्षण कराये गये।

2. जेल की सुरक्षा-व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर उच्च सुरक्षा इकाई एवं आर्म्स प्रशिक्षणों का आयोजन क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल में किया जाता है।

3. तकनीकी शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण जेलों पर कार्यरत तकनीकी अधिकारी/कर्मचारियों को जेल मुख्यालय, भोपाल की ई-लैब में संचालित किये गये, जैसे- ई-प्रिजन, ICJS

4. बी.पी.आर.एण्ड.डी. के सहयोग से 04 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें निकटवर्ती राज्यों, एन.जी.ओ., पुलिस एवं जेल विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

5. समय-समय पर बी.पी.आर.एण्ड.डी., सी.ए.पी.टी., कान्हासैया भोपाल एवं आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी द्वारा प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है।

4. जेल महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह का प्रावधान :

म0प्र0 जेल विभाग में सकारात्मक कार्यों के प्रोत्साहन हेतु कोई राज्य स्तरीय पुरस्कार की व्यवस्था नहीं थी। अतः जेल कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करने एवं मनोबल वृद्धि के उद्देश्य से "जेल महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह" प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

5. कल्याण कोष की स्थापना :

जेल विभाग के कर्मियों एवं उनके परिवारों के कल्याणार्थ शासन स्वीकृति प्राप्त कर जेल कल्याण कोष की स्थापना जेल मुख्यालय एवं प्रत्येक इकाई पर की गई है। इसमें प्रतिवर्ष जेल कर्मी अपने वेतन का 1 प्रतिशत अंशदान देते हैं। इस कोष से जेल कर्मियों एवं परिजनों के शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मनोरंजन आदि से संबंधित कार्यक्रम चलाये जा सकेंगे।

5.2. जेलों में शिक्षा उन्नयन अभियान :

मध्यप्रदेश की विभिन्न जेलों में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आठवीं कक्षा तक की शिक्षा के कार्यक्रम को हाथ में लिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए बंदियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस वर्ष स्नातक के 300, स्नातकोत्तर के 57, प्राथमिक शिक्षा के 463, माध्यमिक शिक्षा के 92, उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडियेट के 243, कुल 1155 बंदी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य शिक्षा मिशन के माध्यम से प्रदेश की जेलों में साक्षरता अभियान शुरू किया गया, वर्ष 2022 में 6938 बंदी सर्वशिक्षा अभियान के तहत लाभान्वित हुए हैं।

5.3. आगामी योजनाएं :

- (1) जेल नियमावली के प्रावधान अनुसार जेलों की सुरक्षा की दृष्टि से जेल कर्मियों का जेल परिसर में निवास करना आवश्यक है। जेल कर्मी शासकीय आवासों की कमी के कारण जेल परिसर के बाहर निवास करते हैं। अतः प्रावधानों के विपरीत इस परिस्थिति को समाप्त करने हेतु शासकीय आवास निर्माण योजना का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
- (2) प्रदेश की घनी आबादी में आ चुकी जेलों को सुरक्षित स्थान पर बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा बैतूल एवं दमोह में नई जेलों के निर्माण के संबंध में कार्रवाई की जा रही है तथा अन्य स्थानों के प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

5.4 मध्यप्रदेश की महिला नीति के अंतर्गत विभाग के कार्य

मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बनाई गई महिला नीति के अंतर्गत जेल विभाग ने महिलाओं के लिए निम्नानुसार कार्य किए हैं :

5.4.1 महिला कैदियों को विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण :

जेल में सजा काट रही महिलाओं को विभिन्न प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

केन्द्रीय जेल इंदौर, सतना, भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर, उज्जैन, ग्वालियर एवं रीवा तथा जिला जेल देवास, बैठन, अनूपपुर, हरदा, शिवपुरी एवं मण्डला में व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, कम्प्यूटर, मेंहदी, ब्यूटी पार्लर, गणेश मूर्ति बनाने, पापड़ बनाने, हर्बल कलर बनाने, राखी बनाने, सजावटी सामग्री बनाने, गोबर से निर्मित सामग्री बनाने, आर्ट एण्ड क्राफ्ट एवं गुड़िया आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 916 महिलाओं ने प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त किया।

5.4.2 प्रशिक्षण के दौरान पारिश्रमिक राशि :

कुशल महिला बंदियों को प्रति आधा दिवस के कार्य हेतु 120 रूपए एवं अकुशल महिला बंदियों को प्रति आधा दिवस के कार्य हेतु 72 रूपए पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।

5.4.3. महिलाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण :

महिला बंदियों के पुनर्वास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत महिला बंदियों को विभिन्न लघु एवं कुटीर उद्योगों जैसे गुड़िया बनाना, अगरबत्ती बनाना, ब्यूटी पार्लर आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

5.4.4. महिला बंदियों के लिए शिक्षा :

प्रदेश की जेलों में महिला बंदियों को प्राथमिक कक्षा से स्नातकोत्तर तक विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। निरक्षर महिला बंदियों को साक्षर बनाने के लिए कक्षाएं चलाई जा रही हैं। शासन द्वारा पुस्तकों एवं स्टेशनरी आदि की मुफ्त व्यवस्था की जाती है। वर्ष के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में 158 महिला बंदी शामिल हुईं एवं 799 महिला बंदियों को साक्षर बनाया गया। 10 महिला बंदियों को कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान की गई।

भाग - छः

जानकारी निरंक है।

भाग - सात सारांश

जेल विभाग अपने मुख्य दायित्व, बंदियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का निर्वहन करने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संबंध में उन्हें विविध सेवाएं प्रदान कर समाजोपयोगी बनाने में सतत प्रयत्नशील है।

प्रदेश की जेलों में बंदियों के सुधार और तनाव को कम करने के उद्देश्य से योग एवं विभिन्न सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं। विभाग द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाया गया है और पहले से शिक्षित बंदियों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है। उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है। विभाग द्वारा जेलों की आवास क्षमता में वृद्धि के प्रयास सतत रूप से किए जा रहे हैं तथा परिरुद्ध बंदियों के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु विधिक सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही जेल कर्मियों को सुरक्षा, अनुशासन एवं संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जेल विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से बंदियों के आचरण एवं उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उनको दी जा रही शिक्षा एवं विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों से वे जेल से रिहा होने पर समाज में अच्छे नागरिक की तरह पुनर्वासित हो रहे हैं।

जेल विभाग के आवश्यक दूरभाष

क्रमांक	नाम	दूरभाष / मोबाईल		निवास स्थान
		कार्यालय	निवास	
1	2	3	4	5

विभागीय मंत्री :

1.	डॉ. नरोत्तम मिश्रा गृह एवं जेल मंत्री E-Mail - ministerlph@gmail.com	245977 2459963	2429863 2761555 9425117366	बी-6, चार इमली भोपाल
----	--	-------------------	----------------------------------	-------------------------

मंत्रालय :

1.	श्री फैज़ अहमद किदवई प्रमुख सचिव, जेल E-Mail - psjail@mp.gov.in	2708372	2421211 9111333200	सी-2/7 चार इमली, भोपाल
2.	श्री ललित दाहिमा अपर सचिव, जेल E-Mail - lalitikumardahima@mp.gov.in	2574941	7974688539	डी-40 चार इमली, भोपाल
3.	श्री अजय नथानियल, अवर सचिव E-Mail - ajay.nathaniel@mp.gov.in	2512495	9407545257	एम.आई.जी.-बी-47, जे.के.पार्क, ग्रीनवेली स्कूल के पास, कोलार रोड भोपाल
4.	श्रीमती सीमा कुंभारे अनुभाग अधिकारी जेल विभाग E-Mail - s.kumbhare@mp.gov.in	2512494	9425376062	198, श्री राम कॉलोनी, होशंगाबाद रोड, भोपाल

क्रमांक	अधिकारी का नाम	दूरभाष / मोबाईल		
		कार्यालय	निवास	निवास स्थान
1	2	3	4	5
जेल मुख्यालय :				
1.	श्री अरविंद कुमार महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं E-Mail - dgjails@mp.gov.in	2558198 2675415 (फैक्स)	— 9417900002	सी-1 भदभदा रोड, भोपाल
2.	श्री संजय पाण्डेय जेल उप महानिरीक्षक E-Mail - sanjay_26168@yahoo.com	2573518	2576252 9425170143	बंगला क्र. 2, जिला जेल परिसर, भोपाल
3.	श्री एम.आर. पटेल जेल उप महानिरीक्षक E-Mail - dighqbhopal777@gmail.com	2558010	2559945 9406605588	डी-2, चार ईमली, भोपाल
4.	श्री रमेश चन्देवाल संयुक्त संचालक (वित्त एवं लेखा) E-Mail - rameshchandewal@gmail.com	—	9479594511	एफ 90/43 तुलसी नगर, भोपाल
5.	श्री कालू सिंह कटारा विधि अधिकारी E-Mail - slojails@mp.gov.in	2573506	9131413638	ई-01/01, सेन्ट्रल जेल, भोपाल
6.	श्री जयप्रकाश सूल्या वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी	—	9826443409	जी 1/20, सेन्ट्रल जेल, भोपाल
7.	श्री एस.के. पटवा उद्योग अधीक्षक	—	9424441422	14, फाईन एवेन्यू फेज-2, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल
8.	श्री संजीव खरे प्रभारी, कार्यपालन यंत्री E-Mail - aejails@mp.gov.in	2671244	2575587 9893145755	एफ 90/59, तुलसीनगर, भोपाल
9.	श्री अब्दुल रहमान खॉन सांख्यिकीय एवं अनुसंधान अधिकारी E-Mail - srojhaq@yahoo.com	2557166	9425628567	11, जिन्सी, जहाँगीराबाद, भोपाल
10.	श्रीमती फूलवती ठाकुर कार्यालय अधीक्षक	2552348	9479967104	ए-19, आसरा एवेन्यू, कमला नगर, नरेश शंकर भोपाल
11.	नियन्त्रण कक्ष, जेल मुख्यालय	2675415 (टेली फेक्स)	—	

प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थान :

क्र.	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष / मोबाईल	
			कार्यालय	अधीक्षक / प्राचार्य निवास
1.	जेल प्रशिक्षण केन्द्र सागर	07582	261245	261243
2.	जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान कृष्णा नगर, भोपाल	0755	2742182	2551032

प्रदेश की जेलों के दूरभाष :

केन्द्रीय जेल :

क्र.	जेल अधीक्षक का नाम एवं जेल की श्रेणी	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष / मोबाईल		
			कार्यालय	जेल गेट	अधीक्षक निवास
1.	श्री अखिलेश तोमर अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, जबलपुर E-Mail - jscjbp@mp.gov.in	0761	2621752 (टेली फैक्स)	2620016	7987019025
2.	श्रीमती अलका सोनकर अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, इंदौर E-Mail - jscjind@mp.gov.in	0731	2530577 (टेली फैक्स)	2540020	9425063083
3.	श्री दिनेश कुमार नरगावे अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, सागर E-Mail - sagarcentjail@gmail.com	07582	261245 (टेली फैक्स)	261245	9826393191
4.	श्री संतोष सोलंकी अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, होशंगाबाद E-Mail - hbdjail40@gmail.com	07574	252428 टेली फैक्स)	252428 257852	9425848853
5.	सुश्री शैफाली तिवारी अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर E-Mail - jscjnnp@mp.gov.in	07792	236330 (टेली फैक्स)	236330	9425610688
6.	श्री राकेश कुमार भांगरे प्रभारी, अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, भोपाल E-Mail - newjailbhopal@gmail.com	0755	2742250 (टेली फैक्स)	2742263	9827014018
7.	श्रीमती ऊषाराज प्रभारी, अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, उज्जैन E-Mail - jscjujn@mp.gov.in	0734	2580300 (टेली फैक्स)	2581020	7247402118
8.	श्री सतीश उपाध्याय प्रभारी, अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, रीवा E-Mail - centraljailrewa@gmail.com	07662	252563 (टेली फैक्स)	252563	8349867296
9.	श्री विदित सिरवैया प्रभारी, अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, ग्वालियर E-Mail - jscjgwl@mp.gov.in	0751	248192 टेली फैक्स)	2481552	8085127909
10.	श्रीमती लीना कोष्टा, प्रभारी, अधीक्षक केन्द्रीय जेल, सतना E-Mail - satnacentraljail@gmail.com	—	—	9425812876	9425693615
11.	श्री एस.बी. शरण प्रभारी, अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, बड़वानी E-Mail - centraljailbarwani@gmail.com	07290	222058	222058	9424483231

जिला जेल :

क्र.	जेल अधीक्षक का नाम एवं जेल की श्रेणी	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष / मोबाइल		
			कार्यालय	जेल गेट	अधीक्षक निवास
1.	श्री संजय सहलाम अधीक्षक, जिला जेल, दतिया	07522	237779	237779	95775116818
			E-Mail - datiajail07522@gmail.com		
2.	श्रीमती हिमानी मनवारे अधीक्षक, जिला जेल देवास	—	—	9475569155	9407554449
			E-Mail - jsdjdws@mp.gov.in		
3.	श्री लक्ष्मण कुमार सिंह भदौरिया अधीक्षक (कार्यवाहक) जिला जेल रतलाम	07412	236111	236111 (टेली फैक्स)	9424078866
			E-Mail - jsdjrtm@mp.gov.in		
4.	श्री आर. आर. डांगी अधीक्षक, जिला जेल, धार	07292	222203	222203 222204 (फैक्स)	232722 9425191268
			E-Mail - jsdjdhr@mp.gov.in		
5.	श्री रामलाल सहलाम प्रभारी, अधीक्षक जिला जेल बालाघाट	07632	241360 (टेलीफैक्स)	240359	6265853045
			E-Mail - jsdjbgt@mp.gov.in		
6.	श्री हुकुमसिंह आर्मी प्रभारी, अधीक्षक जिला जेल सिवनी	07692	228065	228065	9644978322
			E-Mail - jscjsni@mp.gov.in		
7.	श्री लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, प्रभारी, अधीक्षक जिला जेल बैदण	07805	—	223313	9425076994
			E-Mail - superintendentdistt.jail@gmail.com		
8.	श्री योगेन्द्र परमार उप जेल अधीक्षक, जिला जेल, बैतूल	07141	234247	234247 (टेली फैक्स)	9406832580
			E-Mail - districtjailbetul@gmail.com		
9.	श्री जे. आर. मण्डलोई अधीक्षक (कार्यवाहक) जिला जेल खरगौन	—	—	—	9424722810
			E-Mail - jsdjkhg@mp.gov.in		
10.	श्री प्रभात चतुर्वेदी अधीक्षक, जिला जेल कटनी	07622	262215	262215	8744973198
			E-Mail - jsdjktm@mp.gov.in		
11.	श्री भास्कर पाण्डेय अधीक्षक, जिला जेल शहडोल	07652	245207	245207 (टेलीफैक्स)	7974689149
			E-Mail - dist.jailshahdol57@gmail.com		
12.	श्री राजेन्द्र प्रसाद उप जेल अधीक्षक, जिला जेल पन्ना	07732	252012	—	9826640036
			E-Mail - jsdjpnna@mp.com.gov.in		
13.	श्री छोटेलाल प्रजापति उप जेल अधीक्षक, जिला जेल, दमोह	07812	222184	222184 (टेली फैक्स)	221648 9406928425
			E-Mail - districtjaildamoh@gmail.com		

क्र.	जेल अधीक्षक का नाम एवं जेल की श्रेणी	एस.टी.डी.	दूरभाष/मोबाइल		
		कोड	कार्यालय	जेल गेट	अधीक्षक निवास
14.	श्री संजीव कुमार गेंदले उप जेल अधीक्षक, जिला जेल सीधी	07822	—	—	9977555702
		E-Mail - supdtjailsidhi056@gmail.com			
15.	श्री नारायण सिंह राणा उप जेल अधीक्षक, जिला जेल राजगढ़	07372	255030	255030 (टेलीफैक्स)	254787 9425713777
		E-Mail - distjailrajgarh@gmail.com			
16.	श्रीमती अदिति चतुर्वेदी अधीक्षक, जिला जेल, खण्डवा	0733	2224172	—	2229540 9407110893
		E-Mail - dcjailkhandwa@gmail.com			
17.	श्री आलोक बाजपेयी उप जेल अधीक्षक, जिला जेल, इंदौर	0731	2701528	—	9425446625
		E-Mail - disstjailindore@gmail.com			
18.	श्री यजुवेन्द्र वाघमारे, अधीक्षक, जिला जेल छिन्दवाड़ा	07162	247325	247325 (टेली फैक्स)	9039440230
		E-Mail - jsdjcdw@mp.gov.in			
19.	श्री रामकृष्ण चौरे अधीक्षक (कार्यवाहक) जिला जेल रायसेन	07482		—	7999182903 9425433259
		E-Mail - jsdirsn@mp.gov.in			
20.	श्री प्रतीक जैन अधीक्षक, जिला जेल, टीकमगढ़	07683	242324	—	9755303086
		E-Mail - jsdjtkm@mp.gov.in			
21.	श्रीमती ज्योति तिवारी उप जेल अधीक्षक, जिला जेल सीहोर	07562	299029	299029	9340685524
		E-Mail - jsdjseh@mp.gov.in			
22.	श्री एस.बी. शरण अधीक्षक (कार्यवाहक) जिला जेल अलीराजपुर	07394	233582	233512 (टेली फैक्स)	9424483231
		E-Mail - districtjailalirajpur@gmail.com			
23.	श्री के.के. कुलश्रेष्ठ अधीक्षक (कार्यवाहक) जिला जेल, छतरपुर	07682	248210	248210 (टेली फैक्स)	9826757143
		E-Mail - distjailchhatarpur@gmail.com			
24.	श्री दुष्यंत कुमार पगारे अधीक्षक (कार्यवाहक) जिला जेल, झाबुआ	07392	243321	243321	9425066783
		E-Mail - jailjhabua@gmail.com			
25.	श्री गोपाल सिंह गौतम अधीक्षक (कार्यवाहक) जिला जेल शाजापुर	07364	227584	227476 (टेलीफैक्स)	227584 9425124859
		E-Mail - jsdjsjp@mp.gov.in			
26.	श्री ओमप्रकाश पाण्डेय अधीक्षक (कार्यवाहक) जिला जेल मुरैना	07532	226258	—	9424095148
		E-Mail - suptdistjailmorena@gmail.com			

क्र.	जेल अधीक्षक का नाम एवं जेल की श्रेणी	एस.टी.डी.	दूरभाष / मोबाइल		
		कोड	कार्यालय	जेल गेट	अधीक्षक निवास
27.	श्री पी. के. सिंह उप जेल अधीक्षक, जिला जेल मंदसौर	07422	243226	243226	8770608910
		E-Mail - jsdjmns@mp.gov.in			
28.	श्री अतुल सिन्हा अधीक्षक (कार्यवाहक) जिला जेल गुना	07542	—	—	9225456924
		E-Mail - supdtsttjailguna@gmail.com			
29.	श्री रमेशचंद्र आर्य अधीक्षक, जिला जेल शिवपुरी	07492	—	—	9300724275
		E-Mail - jailshivpuri@gmail.com			
30.	श्रीमती ममता नार्वे उप जेल अधीक्षक, जिला जेल भिण्ड	07534	230802	—	7000456174
		E-Mail - jsdjbhd@mp.gov.in			
31.	श्री प्रियदर्शन श्रीवास्तव अधीक्षक (कार्यवाहक) जिला जेल विदिशा	07592	232862	232862	9425149790
		E-Mail - disttjailvidisha@gmail.com			
32.	श्री अजमेर सिंह अधीक्षक जिला जेल मण्डला	07642	252172	252172	9425446625
		E-Mail - dist.jailmandla@gmail.com			
33.	श्री प्रभात कुमार अधीक्षक (कार्यवाहक) जिला जेल नीमच	07423	9479756668	—	8770254128
		E-Mail - jsdjmnh@mp.gov.in			
34.	श्री एस. ए. सिद्धकी अधीक्षक (कार्यवाहक) जिला जेल अशोकनगर	07543	356440	—	9425489548
		E-Mail - asknjail@gmail.com			
35.	श्री व्ही. एस. मौर्य प्रभारी, अधीक्षक जिला जेल श्योपुर	07530	299273	—	9425191827
		E-Mail - sheopurjail222@gmail.com			
36.	श्री एम.एस. रावत अधीक्षक (कार्यवाहक) जिला जेल हरदा	07577	9425660063	—	9827657988
		E-Mail - districtjailharda@gmail.com			
37.	श्री देवेन्द्र सारस जेल अधीक्षक जिला जेल उमरिया	07653	222321	222321	9425854831
		E-Mail - jilajailumaria@gmail.com			
38.	श्री इन्द्रदेव तिवारी उप जेल अधीक्षक, जिला जेल अनूपपुर	07659	—	—	7974148874
		E-Mail - jilajailanuppur1505@gmail.com			

क्र.	जेल अधीक्षक का नाम एवं जेल की श्रेणी	एस.टी.डी.		दूरभाष / मोबाइल	
		कोड	कार्यालय	जेल गेट	अधीक्षक निवास
39.	श्री संतोष कुमार गणेशे उप जेल अधीक्षक, जिला जेल डिण्डोरी	—	—	—	9926217812
			E-Mail - dindorijailsp1@gmail.com		
40.	श्री गिरधारीलाल औसारी अधीक्षक जिला जेल आगर	07362	258646	258646 (टेलीफैक्स)	9907590446
			E-Mail - jsdjagarmalwa@mp.gov.in		
41.	अधीक्षक जिला जेल भोपाल	0755	2551932	2551932	—

सब जेल :

क्र	सहायक जेल अधीक्षक जिले का नाम /सब जेल का नाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष / मोबाईल कार्यालय निवास
1.	श्री गिरजाशंकर दुबे (देवास) सब जेल, कन्नौद	—	— 7987993315 E-Mail - subjailkannod@gmail.com
2.	श्री निर्भय कुमार यादव (उज्जैन) सब जेल, खाचरौद	—	— 6264138809 E-Mail - jssjkhachrod@mp.gov.in
3.	श्री नवीन कुमार नेमा (मंदसौर) सब जेल, गरीठ	07425	238248 9425879529 E-Mail - jssjgaroth@mp.gov.in
4.	श्री देवेन्द्र सिंह चन्द्रावत (रतलाम) सब जेल, जावरा	07414	229147 7999561642 E-Mail - subjailjawra@gmail.com
5.	सुश्री रम्भा चौहान (अलीराजपुर) सब जेल, जोबट	—	— 9522644778 E-Mail - subjailjobat69@gmail.com
6.	श्री दीपक ठाकुर (उज्जैन) सब जेल, तराना	07369	236070 8889131308 E-Mail - jssjtarana@mp.gov.in
7.	श्री रामशंकर पटेल (राजगढ़) सब जेल, नरसिंहगढ़	07375	— 7836969125 E-Mail - nrhjail38@mp.gov.in
8.	श्री कमलेश राय (सतना) सब जेल, नागौद	07673	— 9617636238 E-Mail - nagodsubjail@gmail.com
9.	श्री मनीष कुमार पंवार (होशंगाबाद) सब जेल, पिपरिया	07576	224424 7974835549 E-Mail - upjailpipariya@gmail.com
10.	श्री महेश शर्मा (शिवपुरी) सब जेल, पिछोर	—	— 9827365337 E-Mail - subjailpichhor@gmail.com
11.	श्री विकास सिंह बघेल (शहडोल) सब जेल, बुढ़ार	07652	260072 9770227998 E-Mail - supdtsubjailburhar@gmail.com
12.	श्री कमल किशोर कोरी (रायसेन) सब जेल, बेगमगंज	07487	272250 9893222668 E-Mail - subjailbegumganj@gmail.com
13.	श्री संजू कुमार नायक (बालाघाट) सब जेल, बैहर	—	— 8989488283 E-Mail - subjailbaihar16@gmail.com
14.	श्री मुकेश कुमार मांझी (छतरपुर) सब जेल, बिजावर	07608	253243 8959928778 E-Mail - jailbijawar@gmail.com
15.	श्री अभय वर्मा (बालाघाट) सब जेल, वारासिवनी	07633	— 9425388419 E-Mail - jssjwaraseoni@mp.gov.in

क्र.	सहायक जेल अधीक्षक जिले का नाम		एस.टी.डी.कोड	दूरभाष / मोबाईल	
	/सब जेल का नाम			कार्यालय	निवास
16.	श्री ऐश्वर्य मिश्रा	(खरगौन)	07283	—	8839297319
	सब जेल, मंडलेश्वर		E-Mail - subjailmandleshwar@mp.gov.in		
17.	श्री मनोहर बारकर	(उज्जैन)	07365	292910	9131556368
	सब जेल, महिदपुर		E-Mail - jssjmahidpur@mp.gov.in		
18.	श्री रामगोपाल पाल	(भिण्ड)	—	—	8964038777
	सब जेल, मेहगांव		E-Mail - jssjmehgaon@mp.gov.in		
19.	श्री मितेन्द्र सानेकर	(बैतूल)	07147	224541	7509455355
	सब जेल, मुल्ताई		E-Mail - supdtofsubjailmultai@gmail.com		
20.	श्री रामजी त्रिपाठी	(सतना)	07674	232130	9425869390
	सब जेल, मैहर		E-Mail - supdtsubjailmaiher@gmail.com		
21.	श्री शैलेन्द्र सिंह कुशवाह	(मुरैना)	07536	252379	9826247273
	सब जेल, सबलगढ़		E-Mail - jssjsabalgahar@mp.gov.in		
22.	श्री संजय कुमार परमार	(धार)	07296	292180	8085420204
	सब जेल, सरदारपुर		E-Mail - jssjsardarpur@mp.gov.in		
23.	श्री दिलीप नायक	(जबलपुर)	07624	299298	9406653093
	सब जेल, सिहोरा		E-Mail - jssjsihora@mp.gov.in		
24.	श्रीमती श्वेता मीना	(होशंगाबाद)	07570	—	9907605297
	सब जेल, सिवनीमालवा		E-Mail - seonimalwasubjail@gmail.com		
25.	श्री महेन्द्र सिंह रघुवंशी	(बड़वानी)	07281	292693	9009231587
	सब जेल, सेंधवा		E-Mail - subjailsendhwa@gmail.com		
26.	श्री महावीर सिंह बघेल	(सीहोर)	07563	—	9575433846
	सब जेल, नसरुल्लागंज		E-Mail - superintendentsubjailng@gmail.com		
27.	श्री कल्याण सिंह खांडे	(भिण्ड)	—	—	9584727708
	सब जेल, लहार		E-Mail - laharjail@gmail.com		
28.	श्री अनिल कुमार पाठक	(छतरपुर)	07687	251273	9893091291
	सब जेल, लवकुशनगर		E-Mail - supdtsubjail.lavkushnagar@gmail.com		
29.	श्री एडवर्ड स्वामी	(छिंदवाड़ा)	—	—	8319861742
	सब जेल, अमरवाड़ा		E-Mail - jssjamarwara@mp.gov.in		
30.	सुश्री अनुभा चौधरी	(सिवनी)	07690	240750	7879678176
	सब जेल, लखनादौन		E-Mail - jssjlakhnadon@mp.gov.in		
31.	श्री हेमेन्द्र बागरी	(जबलपुर)	07621	—	8959379061
	सब जेल, पाटन		E-Mail - subjailpatan2007@gmail.com		

क्र.	सहायक जेल अधीक्षक जिले का नाम /सब जेल का नाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष / मोबाईल कार्यालय निवास
32.	श्री चंदरलाल परमार (नीमच) सब जेल, जावद	07420	— 8225808919 E-Mail - jssjjawad@mp.gov.in
33.	श्री भीमसिंह रावत (रतलाम) सब जेल, सैलाना	07413	278583 9407528641 E-Mail - jssjsailana@mp.gov.in
34.	श्री मनोज चौरसिया (इंदौर) सब जेल, महु	—	— 6260119365 E-Mail - subjailmhow123@gmail.com
35.	श्री धर्मवीर सिंह उमरैया (खरगौन) सब जेल, कसरावद	07285	231361 9131993574 E-Mail - subjailkasrawad10@gmail.com
36.	श्री आर.एस. कुशवाह (इंदौर) सब जेल, देपालपुर	07322	222555 9617088115 E-Mail - jssjdepalpur@mp.gov.in
37.	श्री रोहीदास पिकले (देवास) सब जेल, बागली	07271	— 6261232391 E-Mail - jssjbagli@mp.gov.in
38.	सुश्री हेमसरिता मिंज (भिंड) सब जेल, गोहद	—	— 7000880205 E-Mail - jssjgohad@mp.gov.in
39.	श्री रफी हुसैन खान (मुरैना) सब जेल, अम्बाह	07538	— 9300456504 E-Mail - jssjambah@mp.gov.in
40.	श्री आशीष कुमार खरे (टीकमगढ़) सब जेल, जतारा	—	— 9806942244 E-Mail - jssjjatara@mp.gov.in
41.	डॉ. मो. फईम खान (शिवपुरी) सब जेल, कोलारस	—	— 9926279555 E-Mail - subjailkolaras@gmail.com
42.	श्री बाबूलाल माहौर (मुरैना) सब जेल, जौरा	—	— 7869831386 E-Mail - jssjjoura@mp.gov.in
43.	श्री संजय शर्मा (राजगढ़) सब जेल, सारंगपुर	07372	— 9826651134 E-Mail - jssjsarangpur@mp.gov.in
44.	श्री अरविंद खरे (छतरपुर) सब जेल, नौगांव	07685	256667 7987834978 E-Mail - nowgongjail@gmail.com
45.	श्री निर्भय सिंह राठौर (इंदौर) सब जेल, सांवेर	07321	220001 7089112538 E-Mail - subjailsanwer@gmail.com
46.	श्री नरेन्द्र कटारे (ग्वालियर) सब जेल, डबरा	07524	225160 9826784715 E-Mail - jssjdabra@mp.gov.in
47.	श्री विकास कुमार जैन (टीकमगढ़) सब जेल, निवाड़ी	—	— 8839477828 E-Mail - niwarijail@gmail.com

क्र.	सहायक जेल अधीक्षक जिले का नाम		एस.टी.डी.कोड	दूरभाष / मोबाईल	
	/सब जेल का नाम			कार्यालय	निवास
48.	श्री एस. बी. सिंह	(शहडोल)	—	—	9575762805
	सब जेल, ब्यौहारी		E-Mail - jssjbeohari@mp.gov.in		
49.	श्री सुनील शर्मा	(शिवपुरी)	07493	253309	9575177591
	सब जेल, करैरा		E-Mail - subjailkarera@gmail.com		
50.	श्री आलोक भार्गव	(विदिशा)	07594	6263880265	8989143429
	सब जेल, गंजबासौदा		E-Mail - jssjgsnjbasoda@mp.gov.in		
51.	श्री यशवंत शिल्पकार	(रायसेन)	07480	274393	9179425837
	सब जेल, गौहरगंज		E-Mail - subjailgoharganj@gmail.com		
52.	श्री विनय गढ़वाल	(रायसेन)	07486	231260	9630862609
	सब जेल, बरेली		E-Mail - subjailbareli@gmail.com		
53.	श्री शिवपाल पारोंदिया	(शाजापुर)	07360	9424054701	9770785161
	सब जेल, शुजालपुर		E-Mail - jssjshujalpur@mp.gov.in		
54.	श्री रमेश कुमार मरावी	(विदिशा)	07590	276200	9977945822
	सब जेल, लटेरी		E-Mail - laterijail@gmail.com		
55.	श्री नागेन्द्र चौधरी	(दमोह)	07604	264030	9340937490
	सब जेल, हटा		E-Mail - jssjhatta@mp.gov.in		
56.	श्रीमती मंजू कुजूर	(दतिया)	—	—	7879860613
	सब जेल, सेवड़ा		E-Mail - subjailseondha1144@gmail.com		
57.	श्री बृजेन्द्र सिंह	(सागर)	07581	292105	9425382072
	सब जेल, खुरई		E-Mail - subjailkhurai@gmail.com		
58.	श्री सुनील कुमार बैसवाड़े	(शाजापुर)	07361	233859	7999455811
	सब जेल, सुसनेर		E-Mail - subjailsusner@gmail.com		
59.	श्री हीरालाल परमार	(शिवपुरी)	07490	—	9425192235
	सब जेल, पोहरी		E-Mail - subjailpohari@gmail.com		
60.	श्रीमती महालक्ष्मी सिंह	(धार)	07291	280188	9425425799
	सब जेल, धरमपुरी		E-Mail - subjaildharampuri@gmail.com		
61.	श्री युवराज सिंह मुवेल	(खरगौन)	07280	8120448383	7509696046
	सब जेल, बड़वाह		E-Mail - jssjbarwaha@mp.gov.in		
62.	श्री गणेश सिंह	(सागर)	—	9425995988	9644337293
	सब जेल, रहली		E-Mail - subjailrehli@gmail.com		
63.	श्री उम्मेद सिंह माहुने	(गुना)	07542	—	9926243511
	सब जेल, चाचौड़ा		E-Mail - Subjailchachoda50@gmail.com		

क्र.	सहायक जेल अधीक्षक जिले का नाम /सब जेल का नाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष/मोबाईल कार्यालय निवास
64.	श्री राकेश मिहोरिया (सीवा) सब जेल, मऊगंज	07663	203477 8982722878 E-Mail - jssjmauganj@mp.gov.in
65.	श्री राजेन्द्र कुमार यादव (सागर) सब जेल, बंडा	07583	280512 8225802545 E-Mail - bandasubjail@gmail.com
66.	श्री मुनीन्द्र मिश्रा (पन्ना) सब जेल, पवाई	07733	— 9406523260 E-Mail - pawaisubjail@gmail.com
67.	श्री प्रदीप डामोर (धार) सब जेल, मनावर	07294	299189 8770934438 E-Mail - jssmanawar@mp.gov.in
68.	श्री कमल पलासिया (धार) सब जेल, बदनावर	07295	290062 8959344385 E-Mail - jssjbadnawar@mp.gov.in
69.	श्री बुद्धिविलास आरख (खरगोन) सब जेल, महेश्वर	—	— 8349887714 E-Mail - maheshwarupjail123@gmail.com
70.	श्री सुरेन्द्र सिंह राणावत (देवास) सब जेल, सोनकच्छ	—	9479495277 7987426381 E-Mail - jssjsonkatch@mp.gov.in
71.	श्री अमरनाथ कटियार (श्योपुर) सब जेल, विजयपुर	—	— 9993845261 E-Mail - jssjvijaypur@mp.gov.in
72.	श्री शशांक सिंह (सीवा) सब जेल, त्योथर	07661	— 9340170683 E-Mail - jssjteonther@mp.gov.in
73.	श्री अजय वर्मा (उज्जैन) सब जेल, बड़नगर	—	9826517773 9826517773
